कार्यालय नगर पंचायत औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर

पत्रांक 998(2)/न0प0औ0/2020–21

दिनांक 15/12/2020

अल्पकालीन ई–टेण्डर निविदा सूचना

नगर पंचायत औरंगाबाद द्वारा समस्त ठेकेदारों व फर्मों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15वां वित्त आयोग की प्रथम किस्त व स्वच्छ भारत मिशन (एम0आर0एफ0 वित्तीय वर्ष 2019–20) में प्राप्त धनराशि से विकास कार्यों को कराये जाने हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदाओं का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई–प्रक्योरमेन्ट की बेवसाइट http://e-tender.up.nic.in. से प्राप्त किये जा सकते है।

निर्माण कार्य की निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 21.12.2020 को सांय 04.00 बजे से दिनांक 28.12.2020 को सांय 5.00 बजे तक
निर्माण कार्य की निविदा अपलोड करने के समय लगाये गये अभिलेखों को सीलबन्द लिफाफे जमा करने की दिनांक	दिनांक 29.12.2020 को 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक
निर्माण कार्य की निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 30.12.2020 प्रातः 11.00 बजे

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6
	15वां वित्त आयोग				
1	वार्ड नं0– 09/13 में सलीम के मकान से खानू के मकान तक एल टाईप नाली व इन्टरलांकिग टाईल्स निर्माण कार्य	401489.00	10 प्रतिशत	410.00	01 माह
2	वार्ड नं0–08 में जुवैदा के मकान से चन्द्रवीर के मकान तक एल टाईप नाली व इन्टरलांकिग टाईल्स निर्माण कार्य	561134.00	10 प्रतिशत	570.00	01 माह
3	वार्ड नं0–03 में मैन खंडजे से कैलाश के मकान तक एल टाईप नाली व इन्टरलांकिग टाईल्स निर्माण कार्य	412904.00	10 प्रतिशत	420.00	01 माह
4	वार्ड नं0–14 में अजय अग्रवाल के मकान से नवरत्न के मकान तक एल टाईप नाली व इन्टरलांकिग टाईल्स निर्माण कार्य	456489.00	10 प्रतिशत	460.00	01 माह
5	वार्ड नं0–14 में अमरपाल के मकान से धर्मवीर के मकान तक एल टाईप नाली व इन्टरलांकिग टाईल्स निर्माण कार्य	385691.00	10 प्रतिशत	390.00	01 माह
6	वार्ड नं0–15 में समीम के मकान से इलियास के मकान तक एल टाईप नाली व इन्टरलांकिग टाईल्स निर्माण कार्य	394999.00	10 प्रतिशत	400.00	01 माह
	स्वच्छ भारत मिशन				
1	नगर पंचायत औरंगाबाद के अन्तर्गत ख्वाजपुर रोड पर गाटा सं0– 643 व 639 में एम0आर0एफ0 का निर्माण कार्य।	4623971.00	10 प्रतिशत	4700.00	02 माह

शर्तें:–

1. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. नगर पंचायत औरंगाबाद को बिना कोई कारण बताये उपरोक्त कार्यों की निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निविदा शुल्क धनराशि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत औरंगाबाद
जनपद–बुलन्दशहर

करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में फर्म/ठेकेदार/संस्था/कम्पनी की निविदा को अवैध माना जायेगा।

3. प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को 10 प्रतिशत धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में कॉलम 4 में अंकित विवरण के अनुसार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर के पदनाम से बंधक होगी, जिसकी स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय है।
5. निविदा स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र फर्म/ठेकेदार/संस्था/कम्पनी द्वारा निष्पादित करना होगा जिसमें समस्त प्रकार के खर्चे का उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार/संस्था/कम्पनी का होगा।
6. प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को पैन नम्बर, व फर्म/संस्था/कम्पनी/ठेकेदार का श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र व श्रम विभाग में वित्तीय वर्ष 2020–21 का लेवर का पंजीयन प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, व जी0एस0टी0 में पंजीकरण की मौहर सहित स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिसकी एक प्रिन्ट प्रति लिफाफे में रखकर एवं निविदा शुल्क का डी0डी0 व धरोहर राशि एफ0डी0आर0 की मूल प्रति एक लिफाफे में रखकर लिफाफे पर कार्य का नाम व फर्म/ठेकेदार/संस्था/कम्पनी के नाम के साथ निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर निर्धारित दिनांक 29.12.2020 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक कन्ट्रोल रूम नगर पंचायत औरंगाबाद कार्यालय में रखे बाक्स में डालना अनिवार्य है। यदि लिफाफे पर उक्त विवरण अंकित नहीं होगे तो लिफाफा अवैध माना जायेगा एवं ऐसी निविदा का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
7. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कॉपी टेण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
8. फर्म/ठेकेदार/संस्था/कम्पनी का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौतियां /फर्म/संस्था/कम्पनी/ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
9. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्राधिकार, बुलन्दशहर होगा।
10. स्वीकृत निविदा की 10 प्रतिशत धरोहर राशि एक वर्ष के लिये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत औरंगाबाद के पदनाम से बन्धक रहेगी।
11. शासनादेश सं0– 609/नौ–9–2007–249ज/06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा के साथ 100.00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोटः– उक्त निविदायें वेबसाईट www.bulandshahr.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत औरंगाबाद
बुलन्दशहर

अध्यक्ष
नगर पंचायत औरंगाबाद
बुलन्दशहर

प्रतिलिपिः–

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. एन0आई0सी0 बुलन्दशहर की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
3. कार्यालय नगर पचांयत औरंगाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत औरंगाबाद
जनपद-बुलन्दशहर